

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, धनबाद

एम० पी० केश नं० 662/2012

धारा 107 द.प्र.स.

19.4.18

72-80/17

की दि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र पर की गई कारवाई
	जीश्या देवी बनाम सावित्री देवी	27/5/17
 बरवा/अ/३३) थाना अप्राथमिकी सं० 47/17	5/6/17
	प्राप्त हुआ। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जाँच पदाधिकारी	16/6/17
	स० अ०नि०/अ०नि० बरवा/अ/३३) ने जाँच कर अपना	3/7/17
	प्रतिवेदन थाना प्रभारी बरवा/अ/३३) थाना एवं	18/7/17
	अ० बिरी० प्रो.विन्टु डू ने अग्रसारित किया	4/8/17
	है जिसमें उल्लेख है कि उभय पक्षों की बीच	22/8/17
 लेकर	5/9/17
	तनाव है। उभय पक्ष कानून को अपने हाथों में लेकर स्थानीय परिशांति	15/9/17
	भंग करने पर तुले हुए तथा एक दूसरे के जान-माल पर खतरा पहुँचा	4/10/17
	सकते हैं। प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि पक्षों के बीच गंभीर तनाव	17/10/17
	व्याप्त है तथा इनके कार्यों से कभी भी लोक परिशांति भंग हो सकती	2/11/17
	है। पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर मैं उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 107	16/11/17
	द०प्र०सं० की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षों को निर्देश देता हूँ	29/11/17
	कि वे मेरे न्यायालय में दिनांक 5:5:17 को 10.30 बजे	12/12/17
	पूर्वाह्न उपस्थित होकर अपना कारण पृच्छा दाखिल करें कि क्यों नहीं	26/12/17
	लोक परिशांति बनाये रखने के लिए आपके ₹ 5000.00 रु० का दो	10/01/18
	समप्रतिभृतियों के साथ बन्धपत्र लिया जाय।	29/1/18
		14/2/18
		26/2/18
		9/3/18
		23/3/18
		6/4/18
		19/4/18
		22/4/18
	

लेखापित एवं संशोधित

19/04.
अनुमंडल दण्डाधिकारी
धनबाद

19/04.
अनुमंडल दण्डाधिकारी
धनबाद